



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 320) पटना, मंगलवार 1 जून 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

11 मई 2021

सं0 03/प्र0 (योजना)—02/2021 परि0—2740—दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहाँ रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं इनके विकास को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना संख्या—5732, दिनांक—05.09.2018 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गयी है, जिसमें अधिसूचना संख्या—6297 दिनांक—08.08.2019 एवं अधिसूचना संख्या—6480 दिनांक—09.09.2020 के द्वारा अपेक्षित संशोधन किये गये हैं। योजना के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न संशोधन किये जाते हैं :-

1. आरम्भ एवं विस्तार। -

(i) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अधिसूचना संख्या—5732, दिनांक—05.09.2018 के संशोधन के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या—6297, दिनांक—08.08.2019 की कंडिका—2 (i) के पश्चात् निम्न कंडिका को जोड़ा जाता है :-

“2 (ii) योजना के अन्तर्गत प्रति पंचायत अधिकतम 7 (सात) लाभुकों की अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत प्रति प्रखंड अधिकतम 2 (दो) लाभुकों को एम्बुलेन्स के क्रय पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 2.00 (दो लाख) रुपये अनुदान का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु प्रति प्रखंड 2 (दो) लाभुकों का चयन किया जायेगा, जिसमें से 1

(एक) लाभुक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग तथा 1 (एक) लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होंगे। चयन की प्रक्रिया परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 320-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>